

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(3) आपसआ/ओला0/2015/ 3769-826

जयपुर, दिनांक 30.3.15

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त रबी फसल 2015 (सम्बत् 2071) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 28 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2015 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	प्रभावित गांवों की संख्या
1.	अजमेर	577
2.	अलवर	31
3.	बारां	183
4.	बाडमेर	225
5.	भरतपुर	165
6.	भीलवाड़ा	1185
7.	बीकानेर	31
8.	बून्दी	888
9.	चित्तौड़गढ़	1422
10.	चुरू	27
11.	दौसा	30
12.	धौलपुर	14
13.	श्रीगंगानगर	14
14.	हनुमानगढ़	2
15.	जयपुर	5
16.	जालोर	1
17.	झालावाड़	219
18.	झुंझुनूं	18
19.	जोधपुर	309
20.	करौली	2
21.	कोटा	606
22.	नागौर	183
23.	पाली	232
24.	राजसमंद	327
25.	सवाईमाधोपुर	74
26.	सिरोही	30
27.	टोंक	823
28.	उदयपुर	136
	कुल योग	7759

राज्यपाल की आज्ञा से,

Rohit
30/3/15
(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर के जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर, जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर, राज0।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


संयुक्त शासन सचिव